न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00048/2018/223

1. श्रीराम पुत्र छोगा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम देवगांव, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकडी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 01.06.2016 अंतर्गत वाद संख्या 4097/2015.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 03.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92—ए एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 253 मिन, 506 मिन, 5122/2 मिन, व 37 ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में अवस्थित है । विवादित साबिक आराजियात के हाल खसरा नंबर 1622, 971, 977 व 253 है जिस पर वादी का कदीमी करीब 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है और ना ही हो सकता है। वादी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसका आजीविका का एकमात्र जरिये कृषि कार्य ही है । राजस्व रिकार्ड चौसाला गिरदावरी में वादी का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है । आराजियात की पेनल्टी भी राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है । वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी को विवादित आराजियात नियमन करने का निवेदन किया लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिये यह वाद पेश करना लाजमी हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो सहज एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है । उपखण्ड अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि पर वादी कदीम समय से काबिज काश्त चला आ रहा है एवं भूमि से प्राप्त होने वाली काश्त की ऊपज से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है । अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और वादी के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त की भूमि नहीं है । इस कारण अपीलांट विवादित भूमि को पुराना कब्जा काश्त के आधार पर नियमन करवाने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करते हुए वादी का वाद डिक्री करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी का वाद निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । वादी का विवादित आराजी पर 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त है जिसके आधार पर वादी विवादित आराजियात की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को नाटिस दिये बिना वाद को कैम्प मेंरखकर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखने तथा कैम्प कोर्ट में निर्णय व डिक्री पारित करने बाबत् कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांट का निर्णय की दिनांक को जानकारी नही हो सकी थी। उक्त प्रकरण की पत्रावली में दिनाक 28.4.2016 की पेशी नियत थी किन्तु दिनांक 28.4.2016 को पत्रावली पेशी में नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा मालूमात करने पर प्रार्थी को बताया कि पत्रावली गुम हो गई है जिस पर प्रार्थी ने उक्त पत्रावली को तलाश कराये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 25.1.2017 को पेश किया जिस पर उक्त पत्रावली को तलाश करने पर मिली । तत्पश्चात् प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 4.1.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 8.1.2018 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । अपीलांट का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है जो भी निरन्तर नहीं है । पुराने कब्जे काश्त के आधार पर नियमों में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । खसरा नंबर 253 मिन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिसकी नियमानुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती है । वादी दस्स्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में असफल रहा है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी में साबिक खसरा नंबर 253 मिन, 5122/2 मिन व 37 अवस्थित है जिसके हाल खसरा नंबर 1622, 971, 977 व 253 बने है जिस पर वादी का कदीमी करीब 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः अपीलांट/वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । दौराने बहस विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । खसरा नंबर 253 मिन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के दर्ज है जिसकी नियमानुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती है । यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट/वादी का निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा है। पुराने कब्जे काश्त के आधार पर नियमों में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड मे ंसिवायचक दर्ज है । अपीलांट ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में खसरा परिवर्तनशील संवत् 2051 से 2054 वर्ष 1994–95 पेश की है जिसके अनुसार वादी/अपीलांट का संवत् 2051 में खसरा नंबर 253 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर ज्वार की काश्त दर्ज है । खसरा परिवर्तनशील के कॉलम संख्या 10 मृदा (भूमि) वर्ग में भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज है । शेष संवत् 2052, से 2054 में वादी की खसरा नंबर 253 मिन पर काश्त अंकित नहीं है । इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील संवत् 2060 वर्ष 2003–04 में साबिक खसरा नंबर 253 मिन से बने हाल खसरा नंबर 1622 में 0.32 है0 पर ज्वार की काश्त तथा 032 है0 भूमि पर बाजरा, मूंग तथा संवत् 2063 में मक्की की काश्त अंकित है । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 253 मिन के नये खसरा नंबर 1621, 1622, 1623 बने है । वादी ने दावा दायरी के समय वाद वर्णित आराजियात पर लगभग 50 वर्षो से कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी/अपीलांट का विवादित आराजियात के संपूर्ण रकबे पर निरन्तर कब्जा काश्त प्रतीत नहीं होता है । खसरा नंबर 253 मिन गै0मु0रास्ता दर्ज है जो धारा 16 से प्रतिबंधित होने से भी खातेदारी नहीं दी जा सकती है । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहा है । विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर कब्जे काश्त के आधार पर नियमों में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 यथावत् रखा जाता है।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर